

येस बैंक के क्रेडिट कार्ड उत्पाद में अपनी रुचि प्रकट करने वाले सभी क्रेडिट कार्ड/कार्ड-सदस्यों/क्रेडिट कार्ड के आवेदकों/येस बैंक के ग्राहकों/सर्वसाधारण सदस्यों पर सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (''एमआईटीसी'') लागू हैं। एमआईटीसी, येस बैंक के विवेकाधिकार के अनुसार तथा समय-समय पर प्रयोज्य कानूनों के अधीन हैं और वे कार्ड-सदस्य अनुबंध (''कार्ड-सदस्य अनुबंध'') के अतिरिक्त हैं तथा उन्हें कार्ड-सदस्य अनुबंध के साथ ही पढ़ा जाना चाहिए। एमआईटीसी और कार्ड-सदस्य अनुबंध के बीच किसी भी असंगति के मामले में, कार्ड-सदस्य अनुबंध ही प्रभावी होगा, जब तक कि अन्यथा यहाँ नीचे निर्दिष्ट नहीं किया गया हो।

यहाँ स्पष्ट अक्षरों में प्रयोग किए गए परंतु अपरिभाषित सभी शब्दों/शब्द-समूहों के अर्थ कार्ड-सदस्य अनुबंध में होंगे।

1. शुल्क एवं प्रभार

ए. वार्षिक सदस्यता शुल्क

प्राइमरी और एड-ऑन क्रेडिट कार्ड(डॉ) पर वार्षिक सदस्यता शुल्क लागू है। ये शुल्क उस ऑफर के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत कार्ड-सदस्य द्वारा येस बैंक क्रेडिट कार्ड का लाभ उठाया गया है। क्रेडिट कार्ड आवेदन के समय भी कार्ड-सदस्य को यही सूचित किया गया है। जारी किए जाने/नवीनीकरण पर किसी भी अन्य एड-ऑन कार्ड-सदस्य(यों) के शुल्क सहित, जैसा भी प्रयोज्य हो, ये शुल्क कार्ड-सदस्य के क्रेडिट कार्ड खाते पर लगाए जाएँगे और जिस महीने यह शुल्क लगाया जाएगा उस महीने के क्रेडिट कार्ड खाता विवरण में यह शुल्क प्रदर्शित होगा। क्रेडिट कार्ड को बंद करने पर कोई भी शुल्क वापसी लागू नहीं होगी।

बी. अग्रिम नकद शुल्क

भारत या विदेश में एटीएम से किसी भी समय नकद निकासी के लिए कार्ड-सदस्य क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। निकाली गई राशि पर 2.5% (न्यूनतम ₹300) का एक लेनदेन शुल्क लगाया जाएगा और अगले महीने के खाता विवरण में कार्ड-सदस्य पर इसे बिल किया जाएगा। येस बैंक के पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार लेनदेन शुल्क परिवर्तन के अधीन है। सभी अग्रिम नकद लेनदेन पर निकासी की तिथि से लेकर पूर्ण भुगतान तक की तिथि तक परिक्रामी ऋण (रिवॉल्विंग क्रेडिट) (कृपया प्रभारों की अनुसूची देखें) पर प्रभार के बराबर एक वित्त प्रभार भी लागू है। लागू वित्त प्रभार, येस बैंक के पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन है।

सी. अन्य शुल्क

- येस बैंक द्वारा कार्ड-सदस्य को प्रदान विशिष्ट सेवाओं के लिए या कार्ड-सदस्य के कार्ड खाते के संदर्भ में उसके द्वारा भुगतान में की गई चूक के लिए शुल्क एवं प्रभार, समय-समय पर जैसा प्रयोज्य हो, कार्ड-सदस्य द्वारा देय है।
- यदि भुगतान की नियत तिथि तक न्यूनतम देय राशि का भुगतान नहीं किया गया तो विलम्ब भुगतान प्रभार लागू होगा। विलम्ब भुगतान प्रभारों से बचने के लिए भुगतान की नियत तिथि को या उससे पूर्व येस बैंक क्रेडिट कार्ड खाते में क्लियर फंड जमा करना होगा। विलम्ब भुगतान प्रभार निम्नानुसार लागू होते हैं :
- कृपया ध्यान रखें कि सभी शुल्कों एवं प्रभारों पर तथा प्रचलित अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कर योग्य अन्य सभी राशियों पर वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) सहित प्रयोज्य अप्रत्यक्ष कर लगाया जाएगा। (वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई 2017 से लागू होगा)।
- येस बैंक समय-समय पर किसी भी शुल्क या प्रभार को बदलने या नए शुल्कों या प्रभारों को लागू करने का, जैसा भी वो उचित समझे, अधिकार रखता है। ऐसे बदलाव कम-से-कम 30 दिनों के भावी प्रभाव दर्शाने वाली सूचना के साथ किए जाएँगे।

खाता विवरण बकाया	विलम्ब भुगतान प्रभार
₹100/- से कम	शून्य
₹100/- से ₹500/-	₹100/-
₹501/- से ₹5,000/-	₹400/-
₹5,001/- से ₹20,000/-	₹500/-
₹20,000/- और अधिक	₹700/-

डी. ब्याज मुक्त अवधि

विशिष्ट क्रेडिट कार्ड पर लागू योजना के अधीन कार्ड-सदस्य 50 दिनों तक की ब्याज मुक्त ऋण अवधि का लाभ उठा सकता है (कृपया यहाँ संलग्न प्रभारों की अनुसूची देखें)। परंतु, पिछले महीने के खाता विवरण का पूरा बकाया नियत तिथि को या उससे पूर्व चुकता न करने पर, ब्याज मुक्त अवधि लागू नहीं होती है। यह तब भी लागू नहीं होगी यदि कार्ड-सदस्य ने एटीएम से नकद की निकासी की है।

ब्याज मुक्त ऋण अवधि गणना के लिए व्याख्यात्मक उदाहरण :

मान लें कि किसी क्रेडिट कार्ड की भुगतान की नियत तिथि 25 मई होती है, और पिछले महीने का पूरा बकाया चुका दिया गया है, तब छूट की अवधि होगी :

1. 6 अप्रैल को की गई किसी खरीदारी के लिए, ब्याज मुक्त ऋण अवधि है 6 अप्रैल से 25 मई = 50 दिन।
2. 17 अप्रैल को की गई किसी खरीदारी के लिए, ब्याज मुक्त ऋण अवधि है 17 अप्रैल से 25 मई = 39 दिन।

2. सीमाएँ

- येस बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार कार्ड-सदस्य की ऋण सीमा (क्रेडिट लिमिट) और नकद निकासी सीमा निर्धारित करेगा (एड-ऑन कार्ड-सदस्य की भी वही सीमा है जो प्राइमरी कार्ड-सदस्य की है). ऋण सीमा (क्रेडिट लिमिट) वह अधिकतम राशि है, जो किसी दिए गए समय में क्रेडिट कार्ड खाते के संदर्भ में बकाया हो सकती है. इन सीमाओं के बारे में कार्ड-सदस्य को कार्ड प्रदान करने के समय और मासिक खाता विवरण के माध्यम से विधिवत सूचित किया जाता है. खाता विवरण जारी करने के समय, मासिक खाता विवरण के एक हिस्से के रूप में उपलब्ध ऋण सीमा (क्रेडिट लिमिट) प्रदान की जाती है. अग्रिम नकद सीमा येस बैंक द्वारा परिभाषित या निर्धारित नकद की वह अधिकतम राशि है या वह नकद की समराशि है, जो कार्ड-सदस्य अपने क्रेडिट कार्ड खाते पर इस्तेमाल कर सकता/सकती है. नकद सीमा, कार्ड-सदस्य की ऋण सीमा का हिस्सा है. प्रयोज्य अग्रिम नकद सीमा जानने के लिए कृपया प्रभारों की अनुसूची को देखें.
- एक सेवा के संकेत के तौर पर येस बैंक, कार्ड-सदस्य द्वारा ऋण सीमा (क्रेडिट लिमिट) से बढ़कर किए गए किन्हीं विशेष लेनदेनों को स्वीकार कर सकता है. परंतु, सीमा से ऊपर की राशि (ओवर लिमिट अमाउंट) पर 2.5% या ₹500 (जो भी अधिक हो) का एक सीमा से ऊपर का प्रभार (ओवर लिमिट चार्ज) लगाया जाएगा.
- कार्ड-सदस्य के क्रेडिट कार्ड खाते की येस बैंक समय-समय पर समीक्षा करेगा. येस बैंक, अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार, आंतरिक मानदंडों के आधार पर कार्ड-सदस्य की ऋण सीमा (क्रेडिट लिमिट) को कम कर सकता है. इसके बारे में बैंक द्वारा कार्ड-सदस्य को एसएमएस/ईमेल और तत्पश्चात लिखित पुष्टि के माध्यम से तुरंत कारण सहित सूचना दी जाएगी.
- अपनी ऋण सीमा (क्रेडिट लिमिट) बढ़ाने की इच्छा रखने वाला/वाली कार्ड-सदस्य, येस बैंक को लिख कर और कार्ड-सदस्य की आय की घोषणा करने वाले वित्तीय कागजातों को प्रदान कर ऐसा कर सकता/सकती है. येस बैंक, अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार और ऐसे प्रदान किए गए नए कागजातों के आधार पर, कार्ड-सदस्य की ऋण सीमा (क्रेडिट लिमिट) को बढ़ा सकता है.
- क्रेडिट कार्ड के प्रयोग को, समय-समय पर प्रदान की गई ऋण सीमाओं (क्रेडिट लिमिट्स) की स्वीकृति माना जाएगा.

3. वित्त प्रभार

- कार्ड-सदस्य द्वारा उसके पूरे बकाए को न चुकाने की स्थिति में, लेनदेन की तिथि से सभी लेनदेनों पर और कार्ड-सदस्य द्वारा लिए गए सभी अग्रिम नकद पर, जब तक कि वे चुकाए नहीं जाते, मासिक प्रतिशत दर पर वित्त प्रभार देय है. जब तक कार्ड पर बकाया राशि का पूरा भुगतान नहीं कर दिया जाता, तब तक कार्ड-सदस्य के खाते से वित्त प्रभार, यदि देय है तो, विकलित किया (काटा) जाएगा.
- अग्रिम नकद पर वित्त प्रभार, लेनदेन की तिथि से लेकर पूर्ण भुगतान तक लागू है.
- जब कार्ड-सदस्य किसी बकाया राशि को आगे बढ़ाता/बढ़ाती है या अग्रिम नकद का लाभ उठाता/उठाती है, तब औसत दैनिक बकाया विधि (डेली बैलेंस मेथड) द्वारा परिकलित वित्त प्रभार, तब तक आगे बढ़ाए गए बकाया राशियों पर और नए बिलों पर लागू होगा जब तक कि पिछली बकाया राशियों का पूरा भुगतान नहीं कर दिया जाता है.
- कृपया ध्यान दें कि वित्त प्रभार एवं अन्य प्रभार येस बैंक के विवेकाधिकार के अनुसार परिवर्तनों के अधीन हैं.

परिक्रामी ऋण (रिवॉल्विंग क्रेडिट) पर वित्त प्रभार की गणना को समझने के लिए कृपया निम्नलिखित दृष्टांत को देखें.

यह माना जाता है कि कार्ड-सदस्य ने पिछली सभी बकाया राशियों का पूरा भुगतान कर दिया है और उसके येस बैंक क्रेडिट कार्ड खाते पर कोई भी बकाया राशि नहीं है. कार्ड-सदस्य के खाता विवरण की तिथि हर महीने की 20 तारीख है. कार्ड-सदस्य द्वारा उसके कार्ड खाते पर किए गए लेनदेन, निम्नानुसार हैं.

तिथि	लेनदेन	राशि
2 जून	कपड़ों की खरीदारी	₹5000
14 जून	किराना सामान की खरीदारी	₹1000
20 जून	खाता विवरण की तारीख	कुल बकाया राशि = ₹6000; न्यूनतम बकाया राशि = ₹300
10 जुलाई	कार्ड खाते में किया गया भुगतान	₹1000 (जमा)
14 जुलाई	किराना सामान की खरीदारी	₹1000
20 जुलाई	खाता विवरण की तारीख	कुल बकाया राशि = ₹6377.47; न्यूनतम बकाया राशि = ₹318.87

20 जुलाई के खाता विवरण में, कार्ड-सदस्य द्वारा देय कुल राशि के घटकों के रूप में निम्नलिखित का वर्णन होगा :

परिकलित ब्याज = (बकाया राशि x 3.50% प्रति माह x 12 माह x दिनों की संख्या)/365

ए) 2 जून से 9 जुलाई तक ₹5000 पर 3.50% प्रति माह की दर से ब्याज (38 दिनों के लिए) = ₹218.63

14 जून से 9 जुलाई तक ₹1000 पर 3.50% प्रति माह की दर से ब्याज (अर्थात 26 दिनों के लिए) = ₹29.92

10 जुलाई से 20 जुलाई तक ₹5000 पर 3.50% प्रति माह की दर से ब्याज (अर्थात 11 दिनों के लिए) = ₹63.29

14 जुलाई से 20 जुलाई तक ₹1000 पर (नया खर्च) 3.50% प्रति माह की दर से ब्याज (अर्थात 7 दिनों के लिए) = ₹8.05

₹319.89 का कुल ब्याज

बी) ब्याज की राशि पर 18% का वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) = ₹57.58

सी) कुल मूल बकाया राशि = ₹6000 (₹1000 नया खर्च + पिछले महीने की बिल की अवधि से बकाया ₹5000).

अतः कुल बकाया राशि = (ए) + (बी) + (सी) = ₹6377.47

4. बिलिंग

- कार्ड-सदस्य को येस बैंक एक मासिक खाता विवरण भेजेगा, जिसमें पिछले खाता विवरण के बाद से कार्ड खाते में जमा किए गए भुगतानों और निकाले गए लेनदेनों का विवरण होगा. हर महीने एक पूर्व निर्धारित तिथि को येस बैंक कार्ड खाते में हुए लेनदेनों का एक विवरण येस बैंक के पास दर्ज डाक के पते/ई-मेल के पते पर डाक द्वारा/ई-मेल द्वारा भेजेगा. यदि बकाया राशि ₹100 से कम है और अंतिम खाता विवरण के बाद से कोई और लेनदेन की बिलिंग लंबित नहीं है, तो कोई खाता विवरण जारी नहीं किया जाएगा.
- येस बैंक क्रेडिट कार्ड, कार्ड-सदस्य को परिक्रामी ऋण (रिवॉल्विंग क्रेडिट) की सुविधा प्रदान करता है. क्रेडिट कार्ड खाता विवरण में उल्लेखित अनुसार, कार्ड-सदस्य केवल न्यूनतम देय राशि (मिनिमम अमाउंट ड्यू या एमएडी), कुल देय राशि (टोटल अमाउंट ड्यू या एमएडी) से अधिक कुल देय राशि के किसी भी भाग का भुगतान करने का चयन कर सकता/सकती है. बकाया राशि को आगामी खाता विवरणों तक आगे बढ़ाया जा सकता है. ऐसे भुगतान को भुगतान की नियत तिथि से पहले जमा कर देना चाहिए. विलम्ब भुगतान प्रभार से बचने के लिए, क्लियर फंड्स को भुगतान की नियत तिथि को या उससे पूर्व येस बैंक कार्ड खाते में जमा करना आवश्यक है. कार्ड-सदस्यों को यह सलाह दी जाती है कि भुगतान की नियत तिथि के भीतर कार्ड खाते में भुगतान को प्रदर्शित करने को सुनिश्चित करने के लिए, वे भुगतान की नियत तिथि से काफी पहले ही स्थानीय चेक को डाल दें.
- वर्तमान न्यूनतम देय राशि की गणना बकाया राशि के 5% या ₹100 (जो भी अधिक हो) को सभी प्रयोज्य करें एवं ईएमआई (केवल ईएमआई आधारित उत्पादों के लिए) के साथ जोड़कर की जाती है. कार्ड-सदस्य के वर्तमान न्यूनतम देय राशि में, कार्ड-सदस्य की ऋण सीमा (क्रेडिट लिमिट) से अधिक के बकाए के साथ-साथ पिछले खाता विवरण की भुगतान न की गई किसी भी न्यूनतम देय राशि को भी जोड़ दिया जाएगा.
- क्रेडिट कार्ड बकाया के प्रति किए गए भुगतानों को आगामी खाता विवरणों में शामिल कर लिया जाता है.
- कार्ड-सदस्य के कार्ड के बकाया के संदर्भ में प्राप्त भुगतानों को सेवा कर ब्याज प्रभारों, सेवा प्रभारों एवं शुल्कों (सदस्यता शुल्क सहित), पिछली अवधि के मूल बकाया तथा वर्तमान अवधि की खरीदारियों, उसी क्रम में, में समायोजित किया जाएगा.
- निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से कार्ड खाते के संदर्भ में भुगतान किया जा सकता है :
 - ⇒ यदि कार्ड-सदस्य के पास एक येस बैंक खाता है, तो वह नेट बैंकिंग तथा/या येस बैंक एटीएम के माध्यम से भुगतान कर सकता/ती है. ऐसे कार्ड-सदस्य एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी (स्थायी अनुदेश सुविधा) का विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें नियत तिथि को कार्ड-सदस्य के येस बैंक खाते से कार्ड-सदस्य के कार्ड खाते में पैसे स्वतः ही स्थानांतरित कर दिए जाएंगे.
 - ⇒ कार्ड-सदस्य अन्य बैंक के खातों से एनईएफटी (नेफ्ट) फंड ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से भुगतान कर सकता/सकती है **(आईएफएससी कोड वाईईएसबी0सीएमएसएनओसी का प्रयोग करें)** या अन्य बैंकों के नेट बैंकिंग खाते का इस्तेमाल कर बिल डेस्क के माध्यम से भुगतान कर सकता/सकती है.
 - ⇒ कार्ड-सदस्य, येस बैंक की शाखाओं में रखे किसी भी येस बैंक क्रेडिट कार्ड ड्रॉप बॉक्स तथा एटीएम में भुगतान साधनों (पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स) को डालकर भी भुगतान कर सकते हैं. चेक/ड्राफ्ट को येस बैंक क्रेडिट कार्ड संख्या XXXX XXXX XXXX XXXX को देय होना चाहिए.
 - ⇒ येस बैंक की शाखाओं में नकद के माध्यम से भी कार्ड-सदस्य भुगतान कर सकते हैं. क्रेडिट कार्ड खाते में नकद भुगतान के लिए लागू प्रभार के लिए कृपया प्रभारों की अनुसूची देखें.
- कार्ड-सदस्य के संपर्क के पते/ई-मेल के पते में कोई भी परिवर्तन होने की स्थिति में, कार्ड-सदस्य द्वारा नियमित रूप से खाता विवरणों को प्राप्त करने को सुनिश्चित करने के लिए, कार्ड-सदस्य को यह सलाह दी जाती है कि वह शीघ्र ही येस बैंक से संपर्क कर इस जानकारी का अद्यतन (अपडेट) करवाएँ.
- खाता विवरण/बिलिंग विवाद : खाता विवरण की तिथि के 60 दिनों के भीतर यदि कार्ड-सदस्य लिखित में येस बैंक को किसी भी प्रकार की त्रुटि की सूचना नहीं देता/देती है, तो खाता विवरण की सभी सूचनाओं को सही और स्वीकार्य माना जाएगा. ऐसी कोई सूचना प्राप्त होने पर, जाँच होने तक येस बैंक अस्थायी तौर पर प्रभार को वापस ले सकता है. बाद में होने वाली जाँच के समाप्त हो जाने पर यदि ऐसे प्रभारों की देयता कार्ड-सदस्य के खाते की हुई, तो संबंधित पुनर्प्राप्ति अनुरोध प्रभारों (एसोसिएटेड रिट्रीवल रिक्वेस्ट चार्जस) सहित उन प्रभारों को आगामी खाता विवरण में पुनः जोड़ दिया जाएगा.
- कृपया ध्यान दें कि प्रति माह केवल न्यूनतम भुगतान करने से आपकी बकाया राशि के ऊपर परिणामतः ब्याज के भुगतान के साथ, भुगतान वर्षों तक खिंचता चला जाएगा.
- बिलिंग या खाता विवरण के किसी विवाद के संबंध में कोई भी पूछताछ करने के लिए कार्ड-सदस्य द्वारा येस बैंक क्रेडिट कार्ड्स से संपर्क किया जा सकता है.

⇒ 24x7 येस टच ग्राहक सेवा संख्या : 1800 103 1212/022-49350000

⇒ डाक द्वारा - येस बैंक लिमिटेड, वन इंडिया बुल्स पार्क, नं. 14, थर्ड मेन रोड, अम्बत्तूर इंडस्ट्रियल एस्टेट. अम्बत्तूर, चेन्नई - 600058

⇒ ईमेल द्वारा vestouchcc@yesbank.in

5. भुगतान में चूक और परिस्थितियाँ

यदि कार्ड-सदस्य भुगतान की नियत तिथि तक कम-से-कम न्यूनतम देय राशि का भुगतान नहीं करता/करती है, तो खाते को रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) द्वारा अधिकृत क्रेडिट ब्यूरो के पास 'अतिदेय' (ओवरड्यू) के रूप में सूचित कर दिया जाएगा। कम-से-कम न्यूनतम देय राशि का भुगतान न करना, क्रेडिट कार्ड सेवाओं के भंग होने का कारण बन सकता है। कार्ड-सदस्य को आगामी खाता विवरणों में उसकी बकाया राशियों को चुकता करने की याद दिलाई जाएगी। यदि कार्ड-सदस्य आवश्यक भुगतान करता/करती है, तो अगले महीने के पुनश्चर्या में क्रेडिट ब्यूरो के पास उसके रिकॉर्ड को 'चालू' (करंट) के रूप में अद्यतित किया जाएगा।

भुगतान में चूक होने की स्थिति में, कार्ड खाते के किसी भी बकाया पर समझौते के लिए याद दिलाने, आगे की कार्यवाही करने तथा बकाया प्राप्त करने के लिए उपयुक्त संवाद माध्यमों तथा/या तीसरे पक्ष को शामिल कर कार्ड-सदस्य को समय-समय पर याद दिलाया जाएगा। इस प्रकार नियुक्त किया गया कोई भी तीसरा पक्ष, ऋण प्राप्त करने की आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करेगा।

6. ग्रहणाधिकार का अधिकार

यदि येस बैंक की माँग पर कार्ड खाते की बकाया राशि का भुगतान निर्धारित समय के भीतर नहीं किया गया, तो येस बैंक के पास, किसी भी समय और बिना किसी सूचना के, किसी भी खाते/येस बैंक के संरक्षण में मौजूद कार्ड-सदस्य तथा/या एड-ऑन कार्ड-सदस्य की सभी राशियों पर ग्रहणाधिकार एवं कब्जे का अधिकार होगा।

7. कार्ड सदस्यता का समापन/निरसन

■ येस बैंक को निम्नलिखित पते पर 'कम-से-कम 4 तिरछे टुकड़ों में कटे हुए कार्ड' के साथ लिखकर, कार्ड-सदस्य कभी भी कार्ड सदस्यता को समाप्त कर सकता/सकती है :

■ येस बैंक लिमिटेड, वन इंडिया बुल्स पार्क, नं. 14, थर्ड मेन रोड, अम्बत्तूर इंडस्ट्रियल एस्टेट. अम्बत्तूर, चेन्नई - 600058. लिखित अनुरोध के आधार पर एड-ऑन कार्डों सहित सभी कार्डों को समाप्त कर दिया जाएगा। कटे हुए कार्डों की प्राप्ति और कार्ड खाते की बकाया सभी राशियों के भुगतान के बाद ही समापन प्रभावी होगा। समानुपातिक आधार पर (प्रो-राटा बेसिस) कोई भी वार्षिक, प्रवेश या नवीनीकरण शुल्कों की वापसी नहीं होगी।

■ यदि क्रेडिट कार्ड के प्रयोग में येस बैंक को कोई असामान्य और अस्वाभाविक लेनदेन का स्वरूप नजर आता है, तो कार्ड के लेनदेन की वैधता की पुष्टि करने के लिए येस बैंक अपने रिकॉर्ड में उपलब्ध कार्ड-सदस्य के पंजीकृत फ़ोन नंबर पर कार्ड-सदस्य से संपर्क करने की कोशिश करेगा।

■ येस बैंक द्वारा कार्ड-सदस्य से संपर्क स्थापित न कर पाने की स्थिति में, येस बैंक अपने इस यथोचित विश्वास पर, बिना आगे किसी सूचना के क्रेडिट कार्ड को प्रतिबंधित/समाप्त कर सकता है, कि यह कार्ड-सदस्य की भलाई तथा/या सुरक्षा कारणों से आवश्यक है।

■ यदि कार्ड-सदस्य देय राशि का भुगतान करने में चूक करता/करती है या ऋण सीमा (क्रेडिट लिमिट) को पार करता/करती है, तो येस बैंक क्रेडिट कार्ड की सुविधा को निलंबित कर सकता है। कार्ड-सदस्य अनुबंध के समापन के बाद या कार्ड खाते के निलंबित हो जाने पर क्रेडिट कार्ड का प्रयोग नहीं करना होगा। ऐसी स्थिति में, कार्ड-सदस्य को (भुगतान में किसी चूक या कानून द्वारा आवश्यक अन्य सूचना के अधीन) क्रेडिट कार्ड खाते की बकाया राशि का भुगतान तुरंत ही येस बैंक को करना होगा। इसमें, क्रेडिट कार्ड खाते पर अब तक नहीं लगाए गए सभी लेनदेनों और अन्य राशियों सहित, कार्ड-सदस्य अनुबंध के अंतर्गत येस बैंक के प्रति सभी बकाया राशियाँ शामिल हैं। जब तक कार्ड-सदस्य ऐसी सभी बकाया राशियों का भुगतान नहीं कर देता, क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं माना जाएगा।

■ कार्ड-सदस्य की मृत्यु या अक्षमता स्वतः ही कार्ड-सदस्य और साथ-ही एड-ऑन कार्ड-सदस्यों को जारी क्रेडिट कार्ड को निरस्त कर देगा। किसी भी सरकारी/नियामक निकाय के निर्देशों पर क्रेडिट कार्ड खाता भी निलंबन का भागी होगा। मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में, जैसी भी स्थिति हो, क्रेडिट कार्ड खाते की सभी बकाया राशियाँ तत्काल देय मानी जाएँगी और तत्काल सभी बकाया राशियों का भुगतान करने की कार्ड-सदस्य के दायित्व के प्रति बिना पूर्वाग्रह के, संबंधित प्रभावी कानूनों के अनुसार, येस बैंक के पास ऐसी राशियों को वसूलने का अधिकार होगा।

8. कार्ड का गुम होना/चोरी/दुरुपयोग

■ प्राइमरी या अन्य अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड के गुम हो जाने, खो जाने, चोरी हो जाने, अपेक्षित होने पर प्राप्त न होने या कार्ड-सदस्य की बिना अनुमति के क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल होने की शंका होने पर, कार्ड-सदस्य को इस विषय में हमारे 24x7 येस टच ग्राहक सेवा संख्या (जैसा पृष्ठ 9 पर वर्णित है) पर तत्काल सूचना देनी चाहिए।

■ कार्डमैम्बर को कोई भी अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन होने के तुरंत बाद जल्द से जल्द बैंक को इसकी सूचना देनी चाहिए, क्योंकि बैंक को सूचना देने में जितनी अधिक देर लगाई जाएगी, बैंक/कार्डमैम्बर को नुकसान होने का खतरा उतना ही अधिक होगा।

■ ए. ग्राहक का सीमित दायित्व

■ एक ग्राहक निम्नांकित प्रकरणों में अनधिकृत लेनदेन के कारण होने वाले नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा/होगी :

■ जहाँ ऐसा नुकसान ग्राहक की लापरवाही के कारण हो, जैसे कि जब उसने भुगतान के प्रत्यायक (पेमेन्ट क्रेडेंशियल्स) किसी से साझा कर दिए हों, ऐसी स्थिति में तब तक संपूर्ण नुकसान ग्राहक द्वारा वहन किया जाएगा, जब तक कि बैंक को अनधिकृत लेनदेन की सूचना न दी जाए।

- जहाँ अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेनों का उत्तरदायित्व न तो बैंक का, और न ही ग्राहक का हो, लेकिन वह अन्यत्र प्रणाली में निहित हो और जब ऐसे किसी लेनदेन की सूचना बैंक को दिए जाने में ग्राहक की ओर से विलंब (बैंक से संवाद प्राप्त होने के पश्चात चार से सात कार्यदिवस का) हो, तो प्रति लेनदेन ग्राहक का दायित्व लेनदेन के मूल्य या तालिका 1 में उल्लेखित राशि, जो भी कम हो, तक सीमित होगा।

तालिका 1

खाते का प्रकार	अधिकतम दायित्व (₹)
₹5 लाख तक की सीमा वाले क्रेडिट कार्ड	₹10,000
₹5 लाख से अधिक सीमा वाले क्रेडिट कार्ड	₹25,000

तृतीय पक्ष शाखाओं में ग्राहक का समग्र दायित्व, जहाँ दोष न तो बैंक के साथ और न ही ग्राहक के साथ निहित हो, लेकिन अन्यत्र प्रणाली में हो, उसे तालिका 2 में संक्षेप में बताया गया है।

तालिका 2

ग्राहक के दायित्व का संक्षेप

संवाद प्राप्त होने की तिथि से कपटपूर्ण लेनदेन की सूचना में लगा समय	ग्राहक का दायित्व (₹)
3 कार्यदिवस के भीतर	शून्य दायित्व
4 से 7 कार्यदिवस के भीतर	लेनदेन का मूल्य या तालिका 1 में उल्लेखित राशि, जो भी कम हो
7 कार्यदिवस के बाद	संपूर्ण लेनदेन मूल्य (बैंक के लिए शून्य दायित्व)

- तालिका 2 में उल्लेखित कार्यदिवसों की संख्या की गणना ग्राहक की गृह शाखा की कार्य अनुसूची के अनुसार की जाएगी, जिसमें संवाद प्राप्त होने की तिथि शामिल नहीं होगी।
- क्रेडिट कार्ड के गुम एवं चोरी होने के प्रकरण में उक्त कार्डमैम्बर के उपरोक्त मापदंड के अनुसार होने पर, कार्डमैम्बर को चोरी का प्रतिवेदन पुलिस में भी देना होगा, एफआईआर लिखवानी होगी और पुलिस शिकायत की प्राप्ति की प्रति बैंक में जमा करवानी होगी।
- किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसने कार्ड-सदस्य या एड-ऑन कार्ड-सदस्य की सहमति से पिन या कार्ड को प्राप्त किया हो, कार्ड के दुरुपयोग की स्थिति में किसी भी प्रकार के नुकसान की जिम्मेदारी कार्ड-सदस्य की होगी।
- यदि कार्ड-सदस्य ने धोखाधड़ी का काम किया है, तो किसी भी प्रकार के नुकसान की जिम्मेदारी कार्ड-सदस्य की होगी। यदि कार्ड-सदस्य बिना उचित देखभाल के कार्य करता/करती है, तो किसी भी प्रकार के हुए नुकसान की जिम्मेदारी कार्ड-सदस्य की होगी।
- येस बैंक बिना कार्ड-सदस्य या अन्य एड-ऑन कार्ड-सदस्य की जानकारी के, पुलिस या अन्य संबंधित अधिकारियों को ऐसी कोई भी सूचना दे सकता है, जिसे येस बैंक कार्ड या पिन के गुम होने, चोरी होने या दुरुपयोग होने के विषय में प्रासंगिक समझता है।
- एक बार कार्ड के गुम हो जाने की सूचना दे देने के बाद, कार्ड-सदस्य द्वारा उसे बाद में वापस पा लेने पर किसी भी स्थिति में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मैग्नेटिक पट्टी और ईएमवी चिप से होते हुए कार्ड को कई टुकड़ों में काटकर कृपया उसे नष्ट कर दें।
- क्रेडिट कार्ड के साथ इस्तेमाल के लिए कार्ड-सदस्य को जारी किए गए पिन (पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर) की या कार्ड-सदस्य द्वारा पिन के रूप में चुने गए किसी भी नंबर की जानकारी सिर्फ और सिर्फ कार्ड-सदस्य को ही होनी चाहिए। यह कार्ड-सदस्य के व्यक्तिगत उपयोग के लिए है और यह गैर-स्थानान्तरणीय एवं पूर्णतः गोपनीय है। पिन को किसी भी रूप, स्थान या प्रकार में लिख कर नहीं रखना चाहिए, जो किसी तीसरे पक्ष द्वारा इसके इस्तेमाल को आसान बना दे। किसी भी स्थिति में अथवा किसी भी प्रकार से, चाहे स्वेच्छापूर्वक या अन्यथा, पिन को किसी भी तीसरे पक्ष, चाहे येस बैंक का कर्मि या व्यापारिक प्रतिष्ठान (मर्चेन्ट इस्टैब्लिशमेंट), के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। कार्ड-सदस्य द्वारा पिन को जोखिम में डालने की किसी भी स्थिति के लिए येस बैंक तथा/या उसके कर्मि/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं होंगे।

9. शिकायत निवारण

यदि आप हमारी सेवाओं तथा/या येस बैंक के किसी भी एक्सेस चैनलों (अभिगम माध्यमों) द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप हमें 1800 103 1212 (टोल फ्री)/022 - 49350000 पर कॉल कर सकते हैं या yes touchcc@yesbank.in पर ईमेल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में, आप हमारे मुख्य केंद्रीय अधिकारी (प्रिसिपल नोडल अफसर) श्रीमती प्रीती येन्नेमदी से सुबह 09:30 से शाम 05:30 तक सोमवार से शुक्रवार तक, येस बैंक लिमिटेड, फ्लोर नं. 5, आईएफसी, येस बैंक टावर, एल्फिंस्टन रोड (वेस्ट), मुंबई - 4000013; ईमेल : principal.nodalofficer@yesbank.in या 022-39489374 पर कॉल कर संपर्क कर सकते हैं।

उपरोक्त में उल्लेखित स्रोतों के पास आपके द्वारा आपकी शिकायत प्रेषित करने के 1 (एक) महीने के भीतर आपको कोई भी प्रतिक्रिया न मिलने की स्थिति में, या दी गई प्रतिक्रिया से आपके संतुष्ट न होने की स्थिति में, एक स्वतंत्र समीक्षा के लिए आप बैंकिंग लोकपाल (ओम्बड्समैन) से संपर्क कर सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया शिकायत निवारण वेबपेज www.rbi.org.in पर जाएँ।

10. प्रकटीकरण और महत्वपूर्ण विनियामक सूचना

- कार्ड-सदस्य स्वीकार करता/करती है कि मौजूदा व्यवसायिक परिपाटियों के अनुसार, बैंक, क्रेडिट कार्ड(डॉ) से संबंधित कोई भी सूचना, किसी भी क्रेडिट ब्यूरो (मौजूदा या भावी) को बिना कार्ड-सदस्य को सूचित किए दे सकता है.
- कार्डमैम्बर द्वारा धारित क्रेडिट कार्ड कार्डमैम्बर की योग्यता एवं बैंक के विवेकाधिकार के आधार पर उन्नयन/अवनयन करने के अधीन है. यह कार्डमैम्बर को समनुदेशित की गई क्रेडिट लिमिट में परिवर्तन तक भी विस्तारित, और यहीं तक सीमित नहीं, है.
- क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड (सीआईबीआईएल), वित्तीय प्रणाली की कार्यक्षमता एवं स्थिरता को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक पहल है. इस पहल में भाग लेने वाले सभी बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के लिए सीआईबीआईएल/अन्य क्रेडिट ब्यूरो के साथ ग्राहक के डेटा को साझा करना आवश्यक है और यह सूचना ऋण सूचना कंपनी विनियमन अधिनियम (क्रेडिट इंफॉर्मेशन कम्पनीज रेग्युलेशन एक्ट), 2005 की शर्तों में प्रदान की जा रही है. इस आलोक में हम कार्ड-सदस्य को सूचित करना चाहते हैं कि विधिवत सूचना के साथ कार्ड का भुगतान बकाया रहने की स्थिति में, येस बैंक कार्ड-सदस्य द्वारा क्रेडिट कार्ड(डॉ) के भुगतान में चूक से संबंधित किसी भी सूचना को सीआईबीआईएल तथा अन्य किसी भी क्रेडिट ब्यूरो (मौजूदा या भावी) के सामने प्रकट कर सकता है. अतिदेय (ओवरड्यू) कार्ड खातों के संदर्भ में भुगतान प्राप्त होने पर डेटा की कोई भी पुनश्चर्या/अद्यतन, येस बैंक द्वारा भुगतान प्राप्त होने के 60 दिनों की अवधि के भीतर सीआईबीआईएल/अन्य क्रेडिट ब्यूरो में प्रदर्शित होगा.
- कार्ड-सदस्य के ऐसे बिलिंग विवाद को, जिसे पहले ही येस बैंक ने अवैध करार दे दिया है, उठाए जाने की स्थिति में या येस बैंक द्वारा परिभाषित ऐसे विवादों के लिए सीमित समय के बाद कार्ड-सदस्य द्वारा उन्हें उठाए जाने की स्थिति में तथा/या किसी पिन या वन टाइम पासवर्ड का प्रयोग कर किसी लेनदेन से संबंधित विवाद की स्थिति में, येस बैंक के पास यह अधिकार है कि वह भुगतान न करने वाले एक कार्ड-सदस्य की सूचना ब्यूरो को दे दे.
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के प्रयोज्य दिशानिर्देशों के अनुसार, अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर, येस बैंक यह अधिकार भी रखता है कि वह येस बैंक द्वारा नियुक्त किसी भी सेवा प्रदाता, चाहे वह भारत में स्थित हो या विदेश में और चाहे वह येस बैंक ग्रुप की एक इकाई हो या कोई तीसरा पक्ष, को क्रेडिट कार्ड के प्रचालनों से संबंधित किसी भी गतिविधि को सौंप सकता है. बिना किसी विशिष्ट सहमति के येस बैंक, क्रेडिट कार्ड के प्रचालनों से संबंधित किसी भी गतिविधि के लिए कार्ड-सदस्य(यों) के खाता/आवेदन के विवरणों को ऐसे सेवा प्रदाताओं को प्रदान/उनके साथ साझा कर सकता है.
- हम कार्ड-सदस्य को यह भी सूचित कर देना चाहते हैं कि येस बैंक, अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार, शिकायत संबंधित वार्तालाप या भुगतान वसूली संबंधित वार्तालाप या ऐसे कोई भी वार्तालाप, जिसे येस बैंक उचित समझता है, की स्थिति में कार्ड-सदस्य और येस बैंक के प्रतिनिधि के बीच विशिष्ट वार्तालापों को रिकॉर्ड कर सकता है.
- कुछ विशेष क्रेडिट कार्ड के प्रकारों में कार्ड के ऊपर एक कॉम्प्लिमेंटरी बीमा सुरक्षा उपलब्ध है. क्रेडिट कार्ड के जारी होने की तिथि से पॉलिसी सुरक्षा की शुरुआत होती है. और अधिक सूचना तथा नियम एवं शर्तों की जानकारी के लिए, कृपया येस बैंक के वेबसाइट पर जाएँ.
- समय-समय पर, येस बैंक विभिन्न सुविधाओं/उत्पादों/प्रचारक प्रस्तावों को भेजता है, जो उसके कार्ड-सदस्यों को महत्वपूर्ण लाभ की पेशकश करते हैं और इसके लिए येस बैंक तीसरे पक्ष की एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग कर सकता है. यदि कार्ड-सदस्य टेलीफोन कॉल/एसएमएस के माध्यम से ऐसे लाभों की सूचना प्राप्त नहीं करना चाहता/चाहती है, तो वह 'डू नॉट कॉल' सेवा को स्वीकार कर सकता/सकती है. 'डू नॉट कॉल' सेवा को स्वीकार करने के लिए कृपया ग्राहक सेवा को कॉल करें या www.yes.bank पर जाएँ.
- आपकी भारत से बाहर के येस बैंक क्रेडिट कार्ड लेनदेन पूर्णतः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रा नियंत्रण विनियमनों (एक्सचेंज कंट्रोल रेग्युलेशंस) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट), 1999 के अनुसार होना चाहिए. भारत निवासी कार्ड-सदस्य को यह सूचित किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक/इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टल्स के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार के संदर्भ में भारत के बाहर किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर भुगतान को प्राप्त करना तथा प्रभावित करना/प्रेषण करना निषिद्ध है और इस प्रकार के लेनदेन करने वाला/वाली एक कार्ड-सदस्य स्वयं को नो योर कस्टमर (केवाईसी) मानदंडों/एंटी मनी लॉन्डरिंग (एएमएल) मानकों से संबंधित नियमों के उल्लंघन का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त स्वयं के ऊपर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफईएमए), 1999 के उल्लंघन के खिलाफ कार्यवाही होने का भी उत्तरदायी होगा/होगी. येस बैंक क्रेडिट कार्ड के उपयोग के परिणामस्वरूप मुद्रा नियंत्रण विनियमनों के प्रति होने वाले कोई भी उल्लंघन की पूरी जिम्मेदारी व्यक्तिगत येस बैंक क्रेडिट कार्ड-सदस्य की है.
- लॉटरी टिकटों, प्रतिबंधित या बहिष्कृत पत्रिकाओं, घुड़दौड़ पर जुआ, कॉल बैक सेवाओं तथा/या ऐसी ही अन्य वस्तुओं/गतिविधियों, जिसके लिए विदेशी मुद्रा की किसी भी निकासी की अनुमति नहीं है, के लिए भुगतान जैसे निषिद्ध वस्तुओं के लिए इंटरनेट या अन्यथा पर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है.

प्रभारों की अनुसूची - यस बैंक क्रेडिट कार्ड्स

	येस प्रॉस्पेक्टि : रिवाईस/रिवाईस प्लस/फिक्स्ड डिपॉजिट पर जारी रिवाईस प्लस/कैशबैक/कैशबैक प्लस/एज/एनआरआई के लिए एज/बिजनेस एवं येस प्रीमिया					
प्रवेश शुल्क	शून्य					
वार्षिक सदस्यता शुल्क (प्रथम वर्ष और नवीनीकरण)	रिवाईस: ₹250, रिवाईस प्लस/फिक्स्ड डिपॉजिट पर जारी रिवाईस प्लस: ₹350, कैशबैक/एज/एनआरआई के लिए एज: ₹1000, कैशबैक प्लस/प्रीमिया: ₹1500, बिजनेस: ₹1500 (प्रथम वर्ष के लिए, शुल्क पहले खाता-विवरण में भारत है. प्रत्येक नवीनीकरण के लिए, वार्षिक शुल्क नवीनीकरण के बाद पहले खाता-विवरण में भारत है)					
वार्षिक प्रभारों की छूट के लिए खर्च की शर्तें. (केवल खुदरा खर्च के लेनदेन पर लागू)	रिवाईस:	1) कार्ड जारी होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर ₹5,000 खर्च करें और प्रथम वर्ष की सदस्यता शुल्क वापस पाएँ. 2) दूसरे वर्ष से ₹15,000 खर्च करें और उस वर्ष के नवीनीकरण शुल्क की छूट पाएँ.				
	रिवाईस प्लस:	1) कार्ड जारी होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर ₹7,500 खर्च करें और प्रथम वर्ष की सदस्यता शुल्क वापस पाएँ. 2) दूसरे वर्ष से ₹25,000 खर्च करें और उस वर्ष के नवीनीकरण शुल्क की छूट पाएँ.				
	एज/एनआरआई के लिए एज:	1) कार्ड जारी होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर ₹15,000 खर्च करें और प्रथम वर्ष की सदस्यता शुल्क वापस पाएँ. 2) दूसरे वर्ष से ₹75,000 खर्च करें और उस वर्ष के नवीनीकरण शुल्क की छूट पाएँ.				
	प्रीमिया:	1) कार्ड जारी होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर ₹20,000 खर्च करें और प्रथम वर्ष की सदस्यता शुल्क वापस पाएँ. 2) दूसरे वर्ष से ₹1,50,000 खर्च करें और उस वर्ष के नवीनीकरण शुल्क की छूट पाएँ.				
	कैशबैक/कैशबैक प्लस/बिजनेस: लागू नहीं					
ब्याज मुक्त अवधि	50 दिनों तक					
न्यूनतम देय राशि (एमएडी)	खाता विवरण के अनुसार कुल देय राशि का कम-से-कम 5% या ₹200, जो भी अधिक हो					
अग्रिम नकद सीमा	ऋण सीमा (क्रेडिट लिमिट) का 30%					
एड-ऑन कार्ड शुल्क	कोई प्रवेश शुल्क नहीं, कोई वार्षिक शुल्क नहीं (अधिकतम 3 एड-ऑन कार्ड तक जारी किया जा सकता है)					
परिक्रामी ऋण (रिवॉल्विंग क्रेडिट), अग्रिम नकद तथा/या बकाया राशि पर वित्त प्रभार	रिवाईस/रिवाईस प्लस/कैशबैक/कैशबैक प्लस/एज/एनआरआई के लिए एज/बिजनेस एवं येस प्रीमिया: 3.50% प्रति माह (यानी 42.00% वार्षिक) फिक्स्ड डिपॉजिट पर जारी रिवाईस प्लस: 3.00% प्रतिमाह (यानी 36.00% वार्षिक)					
विलम्ब भुगतान प्रभार (एलपीसी) (खाता विवरण बकाया के अनुसार, प्रति खाता विवरण)	खाता विवरण शेष राशि हेतु	< ₹100	₹101-500	₹501-5,000	₹5,001-20,000	>₹20,000
	एलपीसी	शून्य	₹100	₹400	₹500	₹700
सीमा से अधिक शुल्क	अतिसीमा राशि का 2.5% या ₹500, जो भी प्रत्येक बार अधिक हो.					
अग्रिम नकद शुल्क	निकाली गई राशि का 2.5% या ₹300, जो भी अधिक हो					
भुगतान वापसी प्रभार: चेक/स्वतः भुगतान (ऑटो पे)	₹350 (चेक या स्वतः भुगतान की वापसी की प्रत्येक घटना पर)					
रिवाईस प्रतिदान शुल्क	₹100 प्रति प्रतिदान अनुरोध					
भारत में सभी ईंधन स्थानकों पर ईंधन अधिभार (ईंधन अधिभार पर लगने वाला जीएसटी वापस नहीं होंगे)	केवल ₹400 से ₹5000 के बीच लेनदेन के लिए मान्य. एक खाता-विवरण चक्र में अधिकतम अधिभार छूट (रिवाईस/रिवाईस प्लस/फिक्स्ड डिपॉजिट पर जारी रिवाईस प्लस/कैशबैक/कैशबैक प्लस: ₹125, एज के लिए/एनआरआई के लिए एज/प्रीमिया: ₹250, बिजनेस के लिए: ₹500)					
गुम हो चुके, चोरी हो चुके या क्षतिग्रस्त हो चुके कार्ड का पुनर्निर्गमन	₹100 (प्रति पुनर्निर्गमन)					
विदेशी मुद्रा रूपांतरण शुल्क	रिवाईस के लिए/रिवाईस प्लस/फिक्स्ड डिपॉजिट पर जारी रिवाईस प्लस/कैशबैक/कैशबैक प्लस के लिए: 3.40%, एज के लिए/एनआरआई के लिए एज के लिए: 3%, बिजनेस के लिए/प्रीमिया: 2.50%					
बाहरी चेक प्रक्रिया (आउटस्टेशन चेक प्रोसेसिंग) शुल्क	₹25 (प्रति बाहरी चेक)					
खाता विवरण प्रतिलिपि (6 महीनों से पुराना खाता विवरण)	₹100 प्रति खाता विवरण					
क्रेडिट कार्ड भुगतान के लिए वाईबीएल शाखाओं में नकद जमा	₹100					
रेलवे टिकट को क्रय या निरस्त करने पर शुल्क	आईआरसीटीसी/भारतीय रेलवे द्वारा निर्धारित किए अनुसार					
प्रायोरेटि पास शुल्क	एज/एनआरआई के लिए एज: 27 यूएस डॉलर + जीएसटी कार्डमैम्बर(रॉ) और प्रत्येक अतिथि आगमन के लिए एयरपोर्ट्स पर लाउंज के उपयोग पर लाउंज उपयोग शुल्क लागू. प्रीमिया/बिजनेस: 27 यूएस डॉलर + जीएसटी कॉम्प्लिमेंटरी विजिटों (भारत से बाहर) के अतिरिक्त और प्रत्येक अतिथि आगमन के लिए भारत में एयरपोर्ट्स पर लाउंज के उपयोग पर लाउंज उपयोग शुल्क लागू.					
वस्तु और सेवा कर (जीएसटी)	18% (सभी शुल्कों और प्रभारों पर लागू)					



येस बैंक लिमिटेड

वन इंडिया बुल्स पार्क, नं. 14, थर्ड मेन रोड, अम्बतूर इंडस्ट्रियल एस्टेट. अम्बतूर, चेन्नई – 600058

24x7 यस टच ग्राहक सेवा संख्या :

1800 103 1212 (भारत में मोबाइल और लैंडलाइन के लिए टोल फ्री)

+91 22 49350000 (भारत के बाहर से कॉल करने पर)

वेबसाइट : www.yes.bank